भाग–III

टकोलीबैण्ड से बलमा–बड़्यूड़ा–ठाणामटेना मोटर मार्ग निर्माण – 17.00 किमी0

(प्रस्ताव संख्या 9557 / 2015)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14– स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रस्तावित 17.00 किमी0 की लम्बाई में **कुल 54 बॉज** के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 15.03.2015 के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है।
15– क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	ऑन–लाइन प्रस्ताव में अंकित **पार्ट–2 में** सूचित वृक्षों की कुल संख्या 470 सूचित है जबकि हार्ड–कॉपी में कुल वृक्षों की संख्या 476 है। पार्ट–2 में अकेशिया व सुरई प्रजाति के क्रमशः 4 व 2 वृक्ष (कुल 6 वृक्ष) का अंकन नही किया गया है अतः हार्ड–कॉपी में सूचित संख्या को सही मानते हुए कुल वृक्षों की संख्या में 476 के स्तर तक संशोधन के साथ उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमति व्यक्त की जाती है।
16– प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे मे सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है। प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित होने **वाले 0–10 व 10–20 व्यास** श्रेणी के सभी वृक्षों का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वयं के व्यय से निकटवर्ती उपलब्ध रिक्त क्षेत्रों में प्रत्यारोपण किया जायेगा तथा प्रत्यारोपित वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांकः– 17.04.2015
स्थानः– अल्मोड़ा।

(संतोष विजय शर्मा)
वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा